

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 अप्रैल 2011—वैशाख 5, शक 1933

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2011

अधिसूचना

क्रमांक 3352/1211/2011/19/तक-4.—पथकर अधिनियम (1851 का सं. 8) और जो यह छत्तीसगढ़ राज्य को लागू है, की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-31-19-87/जी/19, भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 1988 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्वारा, रायपुर जिले में डोंगरीडीह-कसडोल-घटमड़वा मार्ग के कि.मी. 49/4-6 पर स्थित महानदी पुल पर पथकर की वसूली दिनांक 25 अप्रैल, 2011 से समाप्त करती है.

Raipur, the 25th April 2011

NOTIFICATION

No. 3352/1211/2011/19/Tech.-4.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Tolls Act (VIII of 1851) and its application to the State of Chhattisgarh, the State Government in supersession of this department's notification No. F-31/19/87/G/19, Bhopal, Dated 13th January, 1988, hereby revokes the levy of Tolls on Mahanadi bridge located at 49/4-6 km. of Dongridih-Kasdol-Ghatmadhwa road in Raipur District with effect from 25 April, 2011.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

